6

न्यायालय तहसीलदार कठूमर (अलवर) राज०

सरकार जरिये रिपोर्ट पटवारी हल्का अरुआ बनाम जगनसिंह शिम्भू S/O रत्याली जाट

प्रकरण अर्न्तगत धारा 91एलआर एक्ट

प्रकरण संख्या - 79/RA/2018 निर्णय दिनाँक :- 28/3/2019

पत्रावली प्रस्तुत हुई। प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम खेड़लीतर्फरेला की आ.ख.न. 161 कुल रकबा 0-19 किस्म जमीन गै०मु० शमशान में से 0-01 रकबे पर श्री जगन शिम्भू S/O रत्याली पर अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण कर घूड़ा/लकड़ी कब्जा कर लिया है इस पर पटवारी हल्का अरुआ द्वारा दिनाँक 27/8/18 को उक्त खिलाफ कानूनी कार्यवाही किये जाने की रिपोर्ट मय ताईद भू.अ.निरी. धारौदा के द्वारा प्रस्तुत किये जाने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिक्रमी जगनसिंह शिम्भू S/O रत्याली जाति जाट निवासी खेड़लीतर्फ रेला को भू. राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किये गये नोटिस की तामील कराई गई। नोटिस बाद तामील प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया गया। अतिक्रमी .... उपस्थित नहीं आया। जवाब नोटिस पेश नहीं किया जो शामिल पत्रावली है।

उक्त रकबा आ.ख.न. 161 रकबा 0-19 में से 0-01 रकबे किस्म गै०मु० शमशान है जो नियमन के योग्य नहीं है लिहाजा गैरसायल को अतिक्रमित रकबे से बेदखल किया जाने के आदेश दिये जाते है एवं दण्ड स्वरूप लगान 6 Paise का 50 गुणा 3/- तीन रुपये पैनल्टी आरोपित की जाती है मांग कायमी हेतु टीआरए को लिखा जावे, पैनल्टी वसूली एवं बेदखली हेतु हल्का पटवारी अरुआ भू.अ.निरी. धारौदा को लिखा जाकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

तहसीलदार
तहसीलदार
कठूमर, अलवर (राज०)

प्रतिलिपि :- प. E को पालनार्थ
पत्रावली जमल पेश हो।